

24/21 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 13/21 को पेश हो।

5/21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 10/11/21 को पेश हो।

रीडर  
उपरखण्ड अधिकारी माण्डल

10/21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 12/8/21 को पेश हो।

रीडर  
उपरखण्ड अधिकारी माण्डल

12/21 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 2/21 को पेश हो।

9/21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 14-10-21 को पेश हो।

रीडर  
उपरखण्ड अधिकारी माण्डल

25/21 पत्रावली केम्प... 21/10/19/11 को पेश हुई। आगामी दिनांक 13-1-21 को पेश हो।

1-22 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 8/21 को पेश हो।

22 पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण उपस्थित, तहसीलदार माण्डल से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण ने सहमति जताई है। वकील वादीगण ने वाद पत्र भी स्वीकार किये जाने की इस्वीकृति दी।

P.P.  
लीकम

Nu

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही भय ईनिशयल्स जज

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्राप्त  
विभाजन प्रस्ताव पर मनन किया, न्यायहित में  
प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण का  
काद पर स्वीकार किया जाकर डिडी नंबर वादीगण  
विकेट प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 में इस कारण  
की जारी की जाती है कि ग्राम भगवानपुरा परदारहलका  
भगवानपुरा तहसील माण्डल में स्थित निम्नलिखित कारण  
जियात विभाजन अनुसार वादीगण संव प्रतिवादीगण  
01 लगायत 04 के नाम हिस्सेनुसार भूमि को राजस्व  
रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

1. श्री भैक जोगी गोपी बलाई सा-देह खातेदार  

खसरा नं. 1086	किता 01
रकबा 0.4932	रकबा 0.4932 हेक्टर
  
2. कंकु पुत्री गोपी 1/4, गंगाराम पुत्र गोपी 1/4 नारायणी  
पुत्री गोपी 1/4 बखेली पुत्री गोपी 1/4 बलाई सा-  
देह खातेदार  

खसरा नं.	1085	1086/1	1087	1088	1089
रकबा	0.4679	0.1265	0.6323	0.4679	0.0379

  

1090	कुल किता 06	रकबा कुल 1.9728 हेक्टर
0.2403		

उक्तानुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संव 01 लगायत  
04 के नाम हिस्से अनुसार तहसीलदार माण्डल  
राजस्व रेकार्ड में क्षमल दरामद करे। तदनुसार  
डिडी जारी वे। खर्चा फरिबेन अपना-अपना  
वहम करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर  
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

( आ० 20 नियम 6 / जा०दी० )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान  
वर्जलास श्री डा० पूजा सक्सेना ( आ००१०ए०स० )

अनवान प्रकरण

1. श्री गोगाराम ज० श्री गोपी बलाई निवासी - भगवानपुरा तहसील - माण्डल
2. श्रीमती देऊ ज० श्री गोपी बलाई " " " " " "

वादी

बनाम

1. श्री श्री ज० श्री गोपी बलाई निवासी - भगवानपुरा तहसील - माण्डल
2. नारायणो ज० श्री गोपी बलाई " " " " " "
3. रवेली ज० श्री गोपी बलाई " " " " " "
4. कंकु ज० श्री गोपी बलाई " " " " " "
5. राजस्थान राज्य जारिए तहसीलदार सा - माण्डल तहसील - माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 54, 188 मुकदमा नं० / वर्ष 06/20 निर्णय दिनांक 08-04-22

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी  
निनजानिव मुददई व श्री नरेन्द्र कुमार बलाई सा निनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि आत! वकील वादीगण का वाद पत्रस्वीकार किया जाकर  
डिक्री वदय वादीगण विकट प्रतिवादीगण से 01 लगायत 04 के इस आशय की जारी की जाती है  
कि ग्राम भगवानपुरा परवार वल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल में स्थित निम्नोक्ति आशयित  
वादीगण एवं प्रतिवादीगण से 01 लगायत 04 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जावे का आदेश  
दिया जाता है इसी अनुसार प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण से 1 लगायत 4 के नाम हिस्सेकुसार  
राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. श्री श्री ज० श्री गोपी बलाई सा देह स्वातेदार

आराजी नं० 1086 किता 01 रकबा 0.4932 हेक्टर  
रकबा 0.4932



आज तारीख 08-04-22 को नैर हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

2. कंकु पुत्री गोपी 1/4 गंगाराम पुत्र गोपी 1/4, नारायणी पुत्री गोपी 1/4, खवेली पुत्री गोपी 1/4 बलार सा. देह खातेदार

आरणी नं.	1085	1086/1	1087	1088	1089
रेकवा	0.4679	0.1265	0.6323	0.4679	0.0379

$\frac{1090}{0.2403}$  कुल क्तिता 06 कुल रेकवा 1.9728 हकिये

उक्तानुसार भूमि वार्डेगण एवं उत्तिवादीगण 01 लगायत 04 के नाम हिस्सेनुसार तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।  
 रक्का फरिक्केन अपना-अपना वहन करे।

(11)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 मांडल जिला बालवाड़ा

881 1085

08/10

881 1088

बालवाड़ा जिला